129

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/293/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 04-11-2016 पारित द्वारा सहायक अधीक्षक भू.अभिलेख जिला इन्दौर

---

1. नबीबक्ष पिता बेली नायता
2. सिकन्दर पिता बेली नायता
3. नूर मोहम्मद पिता बेली नायता
4. बली मोहम्मद पिता बेली नायता
5. बाबू पिता बेली नायता
6. रूस्तम पिता बेली नायता .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. हरियाणा नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित
   13 स्वस्तिक नगर एम ओ जी लाईन, इन्दौर
2. आयुक्त इन्दौर नगर पालिका निगम, इन्दौर .....अनावेदकगण

श्री मुशफिक खान अभिभाषक, आवेदकगण

श्री जयंत पटवा अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/12/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत सहायक अधीक्षक भू.अभिलेख जिला इन्दौर द्वारा पारित दिनांक 04-11-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक 1 संस्था द्वारा उसके भूमि स्वामी स्वत्व की ग्राम खजराना तहसील व जिला इन्दौर स्थित खसरा नं. 1179 रकबा 3.149 हेक्टयर के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र तहसीलदार तहसील एवं जिला इंदौर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, प्रभारी अधिकारी भू-अभिलेख द्वारा गठित सीमांकन दल द्वारा दिनांक 04-11-2016 को सीमांकन किया गया । इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन की कार्यवाही अनावेदक क्रमांक 1 संस्था एवं कमला देवी बंशीलाल हरियाणी पारमार्थिक ट्रस्ट के आवेदन पर किया गया है, किन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा आवेदकगण को उक्त सीमांकन के संबंध में कोई सूचना पत्र जारी नहीं किया गया है और सीमांकन की कार्यवाही उनके पीठ पाछे किया गया है। इस तथ्य की पुष्टि प्रकरण में संलग्न सूचना पत्र दिनांक 27-09-2016 से होती है । यह भी कहा गया कि सीमांकन रिपोर्ट से स्पष्ट है कि सीमांकन की कार्यवाही गलत नक्शे को आधार बनाकर किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि राजस्व अधिकारियों द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 संस्था एवं कमला देवी बंशीलाल हरियाणी पारमार्थिक ट्रस्ट के साथ संगनमत होकर सीमांकन की कार्यवाही की गई है, जो अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन कार्यवाही में आवेदकगण सहित पड़ोसी कृषकों को सूचना दी जाना आवश्यक था, किन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा उन्हें सूचना पत्र नहीं देने में वैधानिक भूल की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक क्रमांक 2 आयुक्त इंदौर नगर पालिका निगम द्वारा अतिक्रमण के संबंध जारी सूचना पत्र के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय में व्यवहार वाद क्रमांक 16ए/2016 प्रस्तुत की गई है, जिसमें व्यवहार न्यायालय द्वारा आवेदकगण के पक्ष में यथास्थिति का आदेश जारी किया गया है एवं तत्पश्चात् दिनांक 04-08-2016 को सीमांकन किये जाने का आदेश दिया गया है। तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा दिये गये आवेदन पत्र को आधार बनाकर राजस्व अधिकारियों द्वारा आवेदकगण की अनुपस्थिति में अवैधानिक रूप से सीमांकन कर पंचनामा बनाया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन रिपोर्ट के संबंध में आवेदकगण द्वारा व्यवहार न्यायालय में आपत्तियां प्रस्तुत की है जिनका अभी निराकरण होने है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 संस्था के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक क्रमांक 1 संस्था द्वारा उसके भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि के सीमांकन हेतु विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना पत्र जारी कर विधिवत सीमांकन किया गया है, जिसमें प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का अवैध आधिपत्य पाया गया है । यह भी कहा गया कि सीमांकन दल द्वारा उपस्थित पंचो के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया जाकर मौका पंचनामा तैयार किया गया है, जिस पर पंचो के हस्ताक्षर भी है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन विधि संगत होने से स्थिर रखा जाये । तर्कों के समर्थन में 1987 R.N. 391, 2016 R.N.185(H.C.) के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में संलग्न पंचनामा में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सीमांकन की कार्यवाही आवेदक पक्ष की उपस्थिति में TSM मशीन से किया गया है । आवेदक द्वारा नक्शे में त्रुटि संबंधी कोई भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सीमांकन किया जाकर उपस्थित पंचों के समक्ष सीमांकन किया जाकर, पंचनामा बनाया गया है, जिस पर पंचों के हस्ताक्षर भी है । अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया सीमांकन विधि संगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर सहायक अधीक्षक भू.अभिलेख जिला इन्दौर, द्वारा पारित आदेश दिनांक 04-11-2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर